रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 338] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 26, 2015/ज्येष्ठ 5, 1937
No. 338] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 26, 2015/JYAISTHA 5, 1937

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मई, 2015

सा.का.नि. 426(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 5 और धारा 46 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रिजर्व बैंक के परामर्श से, केन्द्रीय सरकार जनहित में आवश्यक समझते हुए, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (चालू खाता संव्यवहार) नियमावली, 2000 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों को विदेशी मुद्रा प्रबंध (चालू खाता संव्यवहार) संशोधन नियमावली, 2015 कहा जाएगा।

   (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. विदेशी मुद्रा प्रबंध (चालू खाता संव्यवहार) नियमावली, 2000 में -

   (i) नियम 5 के लिए, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा; अर्थात् :

   "5. रिजर्व बैंक से पूर्व अनुमोदन –

   अनुसूची-III में शामिल संव्यवहारों के लिए विदेशी मुद्रा का प्रत्येक आहरण उसमें यथा उपबंधित अभिशासित किया जाएगा :

   बशर्ते कि यह नियम वहां लागू नहीं होगा जहां भुगतान प्रेषक के निवासी विदेशी मुद्रा (आरएफसी) खाते में जमा निधियों में से किया गया हो।"

(ii) अनुसूची-III के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"अनुसूची-III (नियम 5 देखें)

व्यष्टियों के लिए सुविधाएं –

1. व्यष्टिगण केवल 2,50,000 अमरीकी डालर की सीमा के अंदर निम्नलिखित प्रयोजनों हेतु विदेशी मुद्रा सुविधा का उपयोग कर सकते हैं। निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए उक्त सीमा से अधिक के किसी अतिरिक्त विप्रेषण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से पूर्व अनुमोदन अपेक्षित होगा।

(i) किसी देश में (नेपाल और भूटान को छोड़कर) निजी यात्राएं।

(ii) उपहार या दान।

(iii) रोजगार हेतु विदेश जाना।

(iv) उत्प्रवास।

(v) विदेश में निकट संबंधियों का भरण-पोषण।

(vi) व्यवसाय के लिए यात्रा करना अथवा सम्मेलन या विशिष्टिकृत प्रशिक्षण में भाग लेना अथवा चिकित्सा व्यय या विदेश में जांच करवाने अथवा चिकित्सीय उपचार/जांच करवाने के लिए विदेश जा रहे रोगी के परिचारक के रूप में उसके साथ जाने से संबंधित व्यय की पूर्ति हेतु।

(vii) विदेश में चिकित्सीय उपचार कराने के संबंध में व्यय।

(viii) विदेश में अध्ययन करना।

(ix) कोई अन्य चालू खाता संव्यवहार।

बशर्ते कि मद संख्या (iv), (vii) और (viii) में उल्लिखित प्रयोजनों के लिए, यदि क्रमश: उत्प्रवास के देश, उपचार प्रदान करने वाले चिकित्सा संस्थान अथवा विश्वविद्यालय द्वारा ऐसा करना अपेक्षित हो, तो तारीख 3 मई, 2000 की फेमा अधिसूचना 1/2000-आरबी के विनियम 4 में यथा उपबंधित उदारीकृत विप्रेषण योजना (इसमें इसके पश्चात उदारीकृत विप्रेषण योजना कहा गया है) के अंतर्गत निर्धारित सीमा से अधिक की धनराशि के लिए व्यष्टि विनिमय सुविधा का उपयोग कर सकेगा :

बशर्ते और यह कि यदि उक्त उदारीकृत विप्रेषण योजना के अंतर्गत कोई व्यष्टि एक वित्त वर्ष में किसी धनराशि का विप्रेषण करता है, तो ऐसे व्यष्टि के लिए लागू होने वाली सीमा 250,000 अमरीकी डालर (केवल दो लाख पचास हजार अमरीकी डालर) से घटाकर ऐसी विप्रेषित राशि तक कर दी जाएगी :

बशर्ते यह भी कि ऐसा व्यक्ति जो भारत का निवासी है परंतु स्थायी रूप से नहीं है और -

(क) पाकिस्तान के अलावा किसी बाहरी देश का नागरिक हो, या

(ख) भारत का नागरिक हो, जो किसी विदेशी कंपनी के कार्यालय अथवा शाखा या ऐसी विदेशी कंपनी की भारत में अनुषंगी कंपनी अथवा संयुक्त उद्यम में प्रतिनियुक्ति पर हो,

तो अपने निवल वेतन (करों की कटौती, भविष्य निधि में अंशदान और अन्य कटौतियों के पश्चात) तक का विप्रेषण कर सकेगा।

स्पष्टीकरण : इस मद के प्रयोजन के लिए, यदि कोई व्यक्ति अपने रोजगार अथवा किसी विनिर्दिष्ट अवधि की प्रतिनियुक्ति पर (उसकी अवधि पर विचार किए बिना) अथवा किसी विनिर्दिष्ट कार्य या समनुदेशनों के लिए, जिसकी अवधि तीन वर्षों से अधिक नहीं हो, भारत में निवास करता है, तो वह निवासी तो है परंतु स्थायी रूप से निवासी नहीं है :

बशर्ते यह भी कि किसी व्यष्टि के अलावा कोई व्यक्ति भी इसमें ऊपर उल्लिखित प्रयोजनों के लिए उक्त उदारीकृत विप्रेषण योजना के अंतर्गत निर्धारित सीमा के भीतर, आवश्यक परिवर्तनों सहित, विदेशी मुद्रा सुविधा का लाभ ले सकेगा।

व्यष्टि के अलावा व्यक्तियों के लिए सुविधाएं -

2. व्यष्टियों को छोड़कर व्यक्तियों द्वारा निम्नलिखित विप्रेषणों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन की अपेक्षा होगी।

(i) विगत तीन वित्त वर्षों के दौरान, उनके विदेशी मुद्रा अर्जनों के एक प्रतिशत से अधिक के दानों अथवा 5,000,000 अमरीकी डालर, जो भी कम हो, जो

(क) प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों के पीठ सृजन;

(ख) शैक्षणिक संस्थानों द्वारा संवर्द्धित निधियों (निवेश निधि नहीं होने पर) में अंशदान; और

(ग) दाता कंपनी की गतिविधियों के क्षेत्र में किसी तकनीकी संस्था या निकाय अथवा संगम को अंशदान के लिए हों।

(ii) भारत में आवासीय फ्लैटों या वाणिज्यिक प्लाटों की बिक्री के लिए विदेशी अभिकर्त्ताओं को 25,000 अमरीकी डालर अथवा आवक विप्रेषण का पांच प्रतिशत, जो भी अधिक हो, प्रति संव्यवहार, कमीशन।

(iii) अवसंरचना परियोजनाओं के संबंध में किसी भी परामर्शी सेवाओं के लिए प्रति परियोजना 10,000,000 अमरीकी डालर और भारत से बाहर से अधिप्राप्त अन्य परामर्शी सेवाओं के लिए प्रति परियोजना 10,000,000 अमरीकी डालर से अधिक के विप्रेषण।

स्पष्टीकरण : इस उप-पैराग्राफ के प्रयोजनों के लिए, "अवसंरचना" अभिव्यक्ति से अभिप्रेत तारीख 3 मई, 2000 की फेमा अधिसूचना 3/2000-आरबी के पैरा 1(iv)(क)(क) के स्पष्टीकरण में यथा परिभाषित होगा।

(iv) भारत में किसी निकाय द्वारा पूर्व-निगमन व्ययों की प्रतिपूर्ति के जरिए भारत में लाए गए निवेश के पांच प्रतिशत अथवा 100,000 अमरीकी डालर, जो भी अधिक हो, से अधिक के विप्रेषण।

3. प्रक्रिया

इस अनुसूची के अंतर्गत किसी विदेशी मुद्रा के आहरण अथवा विप्रेषण के लिए प्रक्रिया उक्त उदारीकृत विप्रेषण योजना के अंतर्गत किसी धनराशि के विप्रेषण के लिए लागू होने वाली ही होगी।

[फा. सं. 1/6/ईएम/2015]

मनोज जोशी, संयुक्त सचिव (वित्तीय बाजार)

टिप्पणी : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में तारीख 3 मई, 2000 को सा.का.नि. 381(अ) द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th May, 2015

G.S.R. 426(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 and sub-section (1) and clause (a) of sub-section (2) of section 46 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), and in consultation with Reserve Bank, the Central Government having considered it necessary in the public interest, makes the following amendment to the Foreign Exchange Management (Current Account Transactions) Rules, 2000, namely:—

1. (1) These rules may be called the Foreign Exchange Management (Current Account Transactions) Amendment Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Foreign Exchange Management (Current Account Transactions) Rules, 2000,-

(i) for rule 5, the following rule shall be substituted, namely:-

"5. Prior approval of Reserve Bank.—Every drawal of foreign exchange for transactions included in Schedule III shall be governed as provided therein:

Provided that this rule shall not apply where the payment is made out of funds held in Resident Foreign Currency (RFC) Account of the remitter.";

(ii) for Schedule III, the following shall be substituted, namely:—

"SCHEDULE III (See rule 5)

Facilities for individuals—

1. Individuals can avail of foreign exchange facility for the following purposes within the limit of USD 2,50,000 only. Any additional remittance in excess of the said limit for the following purposes shall require prior approval of the Reserve Bank of India.

(i) Private visits to any country (except Nepal and Bhutan).

(ii) Gift or donation.

(iii) Going abroad for employment.

(iv) Emigration.

(v) Maintenance of close relatives abroad.

(vi) Travel for business, or attending a conference or specialised training or for meeting expenses for meeting medical expenses, or check-up abroad, or for accompanying as attendant to a patient going abroad for medical treatment/ check-up.

(vii) Expenses in connection with medical treatment abroad.

(viii) Studies abroad.

(ix) Any other current account transaction:

Provided that for the purposes mentioned at item numbers (iv), (vii) and (viii), the individual may avail of exchange facility for an amount in excess of the limit prescribed under the Liberalised Remittance Scheme as provided in regulation 4 to FEMA Notification 1/2000-RB, dated the 3rd May, 2000 (here in after referred to as the said Liberalised Remittance Scheme) if it is so required by a country of emigration, medical institute offering treatment or the university, respectively:

Provided further that if an individual remits any amount under the said Liberalised Remittance Scheme in a financial year, then the applicable limit for such individual would be reduced from USD 250,000 (US Dollars Two Hundred and Fifty Thousand Only) by the amount so remitted:

provided also that for a person who is resident but not permanently resident in India and –

(a) is a citizen of a foreign State other than Pakistan; or

(b) is a citizen of India, who is on deputation to the office or branch of a foreign company or subsidiary or joint venture in India of such foreign company,

may make remittance up to his net salary (after deduction of taxes, contribution to provident fund and other deductions).

***Explanation**: For the purpose of this item, a person resident in India on account of his employment or deputation of a specified duration (irrespective of length thereof) or for a specific job or assignments, the duration of which does not exceed three years, is a resident but not permanently resident:*

provided also that a person other than an individual may also avail of foreign exchange facility, mutatis mutandis, within the limit prescribed under the said Liberalised Remittance Scheme for the purposes mentioned herein above.

Facilities for persons other than individual -

2. The following remittances by persons other than individuals shall require prior approval of the Reserve Bank of India.

(i) Donations exceeding one per cent. of their foreign exchange earnings during the previous three financial years or USD 5,000,000, whichever is less, for-

(a) creation of Chairs in reputed educational institutes,

(b) contribution to funds (not being an investment fund) promoted by educational institutes; and

(c) contribution to a technical institution or body or association in the field of activity of the donor Company.

(ii) Commission, per transaction, to agents abroad for sale of residential flats or commercial plots in India exceeding USD 25,000 or five percent. of the inward remittance whichever is more.

(iii) Remittances exceeding USD 10,000,000 per project for any consultancy services in respect of infrastructure projects and USD 1,000,000 per project, for other consultancy services procured from outside India.

Explanation:—For the purposes of this sub-paragraph, the expression "infrastructure' shall mean as defined in explanation to para 1(iv)(A)(a) of Schedule I of FEMA Notification 3/2000-RB, dated the May 3, 2000.

(iv) Remittances exceeding five per cent of investment brought into India or USD 100,000 whichever is higher, by an entity in India by way of reimbursement of pre-incorporation expenses."

3. Procedure

The procedure for drawal or remit of any foreign exchange under this schedule shall be the same as applicable for remitting any amount under the said Liberalised Remittance Scheme.

[F. No. 1/6/EM/2015]

MANOJ JOSHI, Jt. Secy. (Financial Market)

Note : The principal rules were published in Part II, Section 3, Sub-section (i) of Gazette of India, Extraordinary, *vide* G.S.R. 381(E), dated the 3rd May, 2000.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.